



कार्यालय
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़
(जिला सामान्य शाखा)

विज्ञापन संख्या -01/2024

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 12/08/24

पाकुड़ जिलान्तर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

माननीय माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची में दायर वाद संख्या-W.P.(S) No.-960/2016 सलन चम्पिया एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के साथ अन्य सदृश्य वादों-W.P.(S) No.-516/2016, W.P.(S) No.-1653/2016, W.P.(S) No.-980/2016, W.P.(S) No.-1597/2016, W.P.(S) No.-6366/2016, W.P.(S) No.-6365/2016 एवं W.P.(S) No.-1148/2016 में दिनांक 23.07.2018 को पारित न्यायादेश के आधार पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची से निर्गत अद्यतन अधिसूचना संख्या-17/चौ0द0 (कोर्ट केस)-11/2018-4998/राँची, दिनांक 19.09.2019 एवं सरकार के अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-17/चौ0द0 (कोर्ट केस) 11/2018 5382, दिनांक-09.10.2019, गृह विभाग, झारखंड, राँची के पूर्व अधिसूचना संख्या-17/चौ0/दफा0 स्था0-17/07 (खंड) 2032/राँची, दिनांक 07.04.2015, सरकार के संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची के पत्र संख्या-17/चौ0द0-02/2019-3780/राँची, दिनांक-21.06.2024 एवं सरकार के संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची के पत्र संख्या-17/चौ0द0-02/2019-3909/राँची, दिनांक-27.06.2024 के आलोक में पाकुड़ जिला अन्तर्गत सभी छः अंचल यथा-पाकुड़, हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, महेशपुर एवं पाकुड़िया में चौकीदार के कुल-290 रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

पद का नाम :- चौकीदार
रिक्त पदों की संख्या :- 290

कोटि	अनारक्षित	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0वर्ग	पि0वर्ग	अ0क0वर्ग	कुल
रिक्त पद	118	123	00	11	08	30	290

- कोटिवार रिक्त पदों की विवरणी बीट संख्या एवं नाम सहित परिशिष्ट-1 में संलग्न है।
- आरक्षण :- झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफ्फसिल स्थापना के लिये लागू आदर्श आरक्षण।
क्षैतिज आरक्षण
 - पर्यटन, कला संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 के आलोक में निर्धारित खेल-कूद कोटा से खिलाड़ियों के लिये 2% पद क्षैतिज रूप में आरक्षित होगा।
 - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-2249, दिनांक-03.04.2018 के अनुसार निःशक्त जनों हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।
 - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5555, दिनांक-28.06.2016 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में से 2% पद क्षैतिज रूप से आदिम जनजाति को अनुमान्य होगा।
 - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-8281, दिनांक-03.12.2021 के आलोक में महिलाओं के लिये 5% पद क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा।

आवेदन के लिये आवेदकों की न्यूनतम अर्हता निम्न होगी :-

- (1) **शैक्षणिक योग्यता**—न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थानों से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।
- (2) **चरित्र** — चरित्र अच्छा हो एवं अपराधिक इतिहास नहीं हो। सक्षम स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
- (3) **उम्र सीमा**— न्यूनतम—18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा—कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची से निर्गत परिपत्र के आलोक में निम्नरूपेण होगी :-

क.	अनारक्षित	—	35 वर्ष
ख.	पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	—	37 वर्ष
ग.	महिला	—	38 वर्ष
	(अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)		
घ.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	—	40 वर्ष
ड.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—	35 वर्ष

नोट :- पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों (माननीय झारखंड, उच्च न्यायालय के न्यायादेश से प्रभावित/अच्छादित) के लिये अधिकतम उम्र सीमा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय से उद्भूत न्यायादेश तथा "entitled to apply irrespective of their present age, subject to fulfillment of eligibility requirements." के अनुरूप होगी। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा को संदर्भित कर्मियों के मामले में मात्र एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिये शिथिल किया जायेगा।

(आयु का गणना की तिथि :-01.07.2024)

- (4) अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
- (5) अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा।
- (6) चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथा संभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र अन्तर्गत होगा।
- (7) **आरक्षण :-** नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जिला स्तरीय आरक्षण लागू होगा।

(8) नियुक्ति प्रक्रिया :-

क. चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक 12.08.24 की संध्या 05:00 बजे तक उपायुक्त, पाकुड़ के पदनाम से जिला सामान्य शाखा, पाकुड़ में हाथो-हाथ अथवा निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन देवनागरी लिपि में एवं स्वहस्तलिखित व सुस्पष्ट होना चाहिए एवं इसके साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र, उम्र, आरक्षण का दावा से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र यथा-जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ आवेदक का हाल का खींचा गया पासपोर्ट आकार का दो स्वअभिप्रमाणित फोटो

संलग्न करना अनिवार्य होगा साथ ही, 10"x 4" का एक स्वपता अंकित लिफाफा (उपयुक्त डाक टिकट सहित) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ख. लिखित परीक्षा :- चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु कुल-50 अंको की एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें जिले से संबंधित ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पुछे जायेंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जायेगी।

ग. शारीरिक माप :- अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित आवश्यक होगा :-

	उँचाई (निम्नतम)
(i) सामान्य जाति -	160 से0मी0
(ii) पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग -	160 से0मी0
(iii) अनु0जाति/अनु0जनजाति -	155 से0मी0
(iv) महिलाओं के लिए -	148 से0मी0

न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी ही क्रमांक-(घ) में निर्धारित शारीरिक जाँच के लिए योग्य होंगे।

घ. शारीरिक जाँच :- लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं क्रमांक-9 (ग) शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी ही शारीरिक जाँच हेतु योग्य माने जायेंगे। शारीरिक जाँच में एक मील की दौड़ का आयोजन किया जायेगा, जिसमें निम्न आधार पर अंक दिये जायेंगे:-

(A) एक मील की दौड़

	समय	अंक
(i) पुरुषों के लिये -	05 मिनट या पहले	20 अंक
	05 मिनट के बाद 06 मिनट तक	10 अंक
(ii) महिलाओं के लिये -	08 मिनट या पहले	20 अंक
	08 मिनट के बाद 10 मिनट तक	10 अंक
(अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझें जायेंगे)		

ङ. लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।

च. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायादेश से उदभूत एवं प्रभावित/अच्छादित अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में कार्यानुभव के लिये नियुक्ति पदाधिकारी, साक्ष्य आधारित सम्पुष्टि के उपरान्त 02 अंक प्रत्येक पूर्ण 01 (एक) वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक देय होगा।

(9) मेधा सूची :- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जाँच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायगी।

उक्त प्रावधान का प्रयोग मात्र एक बार होने वाली नियुक्ति के लिये ही मान्य होगी तथा कालान्तर में इसे पूर्व उदाहरण नहीं माना जायेगा। एक बार नियुक्ति के पश्चात् यह प्रावधान स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा।

(10) चिकित्सा परीक्षण :- नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जायगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदण्ड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाये जाने पर ही नियुक्त किया जायगा।

(11) **परिवीक्षा :-** चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। अगर वर्द्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय, तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।

(12) **प्रशिक्षण :-** परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को वांछित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा।

(13) **सम्पुष्टि :-** परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

(14) **वेतनमान् :-** वेतनमान्-पी0बी0- I, 5200-20200, ग्रेड वेतन-1800 (छठा वेतनमान्)
सप्तम वेतनमान् - Level-I, Index-1, वेतन-18000/- होगा।

(15) **आवेदन करने की प्रक्रिया :-**

(a) उपरोक्त योग्यता-सह-अर्हता रखने वाले उम्मीदवार, विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे :-

1. शैक्षणिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र
2. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण-पत्र
3. जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र
4. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र
5. स्वअभिप्रमाणित अद्यतन 04 (चार) पासपोर्ट साईज फोटो
6. स्वपता लिखा लिफाफा जिसके उपर 26 रु0 का डाक टिकट लगा हो संलग्न करते हुए दिनांक-.....12.08.24..... तक जिला चौकीदार नियुक्ति कोषांग, उपायुक्त कार्यालय, समाहरणालय, पाकुड़ में जमा कराया जा सकता है।

(b) अभ्यर्थी लिफाफा के उपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे।

(c) किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(d) आवेदन को बन्द लिफाफे में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है।

(e) अन्य विवरणी जिला के अधिकृत वेबसाईट-pakur.nic.in पर देखा जा सकता है एवं प्रपत्र/आवेदन पत्र (Form) को Download किया जा सकता है।

(f) **परीक्षा शुल्क :-** निःशुल्क

(g) परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जायेगी।

- (h) दिनांक—12.08.24 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
(i) आवेदन निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे :—उपायुक्त, पाकुड़
जिला सामान्य शाखा (समाहरणालय)
पाकुड़, पिन-816107।

नोट :- (i) रिक्ति की कुल संख्या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त दावों से प्रभावित होगी।
(ii) विशेष परिस्थिति में विभागीय आदेश/निदेश के आलोक में आवश्यकतानुसार विज्ञापन में आंशिक/पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है।

२०१—
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

ज्ञापांक 256 /सा0, पाकुड़, दिनांक 25.07.2024

प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पाकुड़ को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पाकुड़ को जिला के अधिकृत वेबसाईट—pakur.nic.in में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी थाना प्रभारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, पाकुड़ जिला को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि सभी थाना, पंचायत, अंचल, प्रखंड क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परनगा प्रमंडल, दुमका को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- सरकार के प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

25.7.24

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

विज्ञापन संख्या-01/2024

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
पाकुड़।

पासपोर्ट आकार
स्वअभिप्रेमाणित
फोटो

गृह जिला का नाम :-..... अंचल का नाम..... आवेदित बीट क्षेत्र का नाम बीट संख्या..... ग्राम का नाम

1. आवेदित पद का नाम :-
2. अभ्यर्थी का नाम :- (बड़े अक्षरों में) :-
हिन्दी में
- अंग्रेजी में.....
3. पिता/पति का नाम :-हिन्दी में
अंग्रेजी में.....
4. जन्म तिथि :- (अंकों में) (शब्दों में).....
(दिनांक-01.07.2024 को उम्र)..... वर्ष माह दिन
5. आवेदक का जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा :-.....
(जनजातीय भाषा :- संथाली, मालतो)
(क्षेत्रीय भाषा :- खोरठा, बंगला, उर्दु, अंगिका)
6. अभ्यर्थी का स्थायी पता :-
ग्राम पंचायत पोस्ट
थाना अंचल जिला
पिन कोड मोबाईल नं०-.....
ई-मेल आई डी० (यदि हो तो) :-
7. पत्राचार का पता :-
ग्राम पंचायत पोस्ट
थाना अंचल जिला
पिन कोड मोबाईल नं०-.....
8. शरीर पर दो चिन्ह का निशान :-
(i)
(ii)
9. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्णता वर्ष	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
01	02	03	04	05	06
01	मैट्रिक				
02	इंटरमीडिएट				
03	स्नातक				
04	अन्य				

10. अभ्यर्थी के जाति का श्रेणी :-अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति..... उपजाति

11. आवासीय प्रमाण पत्र संख्या निर्गत तिथि
12. जाति प्रमाण पत्र संख्या निर्गत तिथि
13. परीक्षा शुल्क :- पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक
14. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र (केवल माननीय उच्च न्यायालय का न्यायादेश से अच्छादित अभ्यर्थी के मामले में)
15. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश से अच्छादित अभ्यर्थी द्वारा उम्र संबंधी छूट के संबंध में न्यायादेश की प्रति संलग्न है अथवा नहीं

घोषणा पत्र

मैं ऊपर दिये गये सभी सूचनायें मेरी जानकारी से सही हैं। किसी भी स्तर पर सूचनाएँ गलत पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

दिनांक :-
स्थान :-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर